खंड 1 संख्या 122

राष्ट्र महिला

सितम्बर 2009

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

अपने अविश्वसनीय साहसी कृत्य के बाद रुकसाना कौसर सही अर्थों में एक वीरांगना बन गयी है और लोग उसे आतंकी अत्याचारों से लड़ने वाली योद्धा के रूप में देखने लगे हैं। जम्मू व कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में स्थित अपने मकान पर हुए आतंकियों के एक हमले को विफल करने में उसने अद्वितीय साहस का परिचय दिया।

तीन आतंकी उसके घर में घुस आये और उसके माँ-बाप को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें संदेह था कि उसका पिता पुलिस का मुखबिर है। अपना पूरा साहस जुटा कर, दुबली-पतली 21 वर्षीय लड़की ने गंडासा उठाया और एक आतंकवादी पर हमला बोल दिया, फिर उसकी बंदूक छीन कर उसे गोली मार दी। अन्य दो आतंकवादी, जिनमें से एक घायल हुआ था, भाग खड़े हुए। गोली चलाना तो दूर, इससे पहले रुकसाना ने कभी बंदूक पकड़ी तक नहीं थी।

उसका साहसी कारनामा अन्य महिलाओं के लिए यह संदेश है कि वे भी आतंकवादियों की काली करतूतों से लोहा लेने की क्षमता रखती हैं। अब यह बात खुल चुकी है कि जेहादी लोग यौन शोषण के लिए युवा लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं।

रुकसाना की कहानी बदलते हुए समय की द्योतक है - एक समय था जब स्थानीय लोग उग्रवादियों को आश्रय दिया करते थे, किन्तु अब

चर्चा में

लड़की ने आंतकवादी को मार गिराया

उग्रवादी उनके समर्थन से वंचित होते जा रहे हैं। उग्रवादी मनमाने तरीके से ब्लात्कार और हत्याएँ करते हैं, और उनके उत्पीड़न से तंग आकर कश्मीर की बहुत सी महिलाओं ने अपने मन से उनका डर निकाल दिया है और उनका सामना करना प्रारंभ कर दिया है। उदाहरणार्थ, कुछ मास पूर्व, एक महिला ने, जिसका अपहरण करके आतंकवादियों ने एक मास तक उसे मारा-पीटा तथा उसका बलात्कार किया था, पुलिस थाने पर एक आतंकवादी की पहचान कर उसकी धुनाई की।

अब रुकसाना रातों-रात उन लड़कियों का आदर्श बन गयी है जो राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहती हैं और उग्रवादियों द्वारा उत्पीड़ित की जाती हैं। परन्तु, रुकसाना भी अब इन उग्रवादियों के निशाने पर आ गयी है और वे उसकी हत्या करने पर तुले हैं। रुकसाना और उसके परिवार की इन आतंकियों से रक्षा करने के प्रयोजन से स्थानीय पुलिस ने उसके घर के सामने एक पुलिस टुकड़ी तैनात कर दी है, परन्तु प्रश्न यह है कि कितने समय तक यह उनके लिए कवच का काम करेगी। निश्चय ही, रुकसाना और उसके परिवार को एक लम्बी अवधि तक संरक्षा की आवश्यकता है, और मीडिया का ध्यान कम हो जाने पर उसके सुरक्षा प्रबन्ध में कोई कोताही नहीं आनी चाहिए। अन्यथा, रुकसाना की बहादुरी, जो अनेक अन्य रुकसानाओं को प्रेरित कर सकती है, बेकार जायेगी।

आयोग में गैर निवासी भारतीय कक्ष का उद्घाटन

यूनिफेम की क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक (दक्षिण पूर्व एशिया) सुश्री एनी एफ. स्टेनहेयर ने राष्ट्रीय महिला आयोग में गैर निवासी भारतीय कक्ष का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह गैर निवासी भारतीय कक्ष के कार्यकरण से बहुत प्रभावित हुई हैं। वह कुछ पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों से भी मिलीं। उन्होंने कहा कि इस कक्ष को न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी विस्तारित किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर घटनाएं विदेशों में होती हैं। उन्होंने वादा किया कि यूनिफेम इस कक्ष की सहायतार्थ तकनीकी प्रवरता मुहैया करायेगा।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि "गैर निवासी भारतीय विवाहों के संबंध में प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए, समुद्रपार भारतीय कार्य मंत्रालय ने इस कक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय अभिकरण के रूप में मनोनीत किया है" और यह कक्ष एक शीर्ष अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

कक्ष की स्थापना से अब तक इसे 25 शिकायतें ऐसी महिलाओं से प्राप्त हुई हैं जिन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में रह रहे गैर निवासी भारतीयों से विवाह किया था। इस वर्ष, कक्ष की स्थापना से पूर्व, 16 ऐसे मामले प्राप्त हुए, जब कि 2008 में राष्ट्रीय महिला आयोग के शिकायत एवं विवेचना कक्ष में 44 मामले दर्ज किए गये।

इससे पूर्व, इस प्रकार के मामले कई अभिकरणों द्वारा देखे जा रहे थे - विदेश, गृह कार्य तथा विधि एवं न्याय मंत्रालयों द्वारा - जिसके परिणामस्वरूप उन्हें तय करने में अनावश्यक विलम्ब होता था। इसे दूर करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग को यह कार्य सौंपा गया है।

प्रेस सम्मेलन में सुश्री स्टेनहेमर और डॉ. गिरिजा व्यास

परित्यक्त गैर निवासी दुल्हनों के लिए आयोग में कक्ष स्थापित किया गया

विदेशों में रह रहे गैर निवासी भारतीयों द्वारा परित्यक्त दुल्हनों की त्रासदी कम करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक विशेष गैर निवासी भारतीय कक्ष स्थापित किया है जो गैर निवासी भारतीयों से संबंधित विवाहों तथा विवादों के सभी मुद्दों का एकल केन्द्र है।

यह देखते हुए कि प्रति 10 गैर निवासी भारतीय विवाहों में से दो में दुल्हनें परित्यक्त कर दी जाती हैं, ऐसे कक्ष की आवश्यकता लम्बे अरसे से महसूस की जा रही थी।

समुद्रपार कार्य मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय महिला आयोग का शीर्ष अभिकरण' के नाम से पुकारे गये इस कक्ष के माध्यम से महिलाएं अपने विवादों का हल मध्यस्थता के जरिए कर सकती हैं। भारतीय महिलाओं को विदेश में रह रहे पतियों द्वारा परित्यक्त करने संबंधी सभी शिकायतें यह कक्ष स्वीकार करेगा और उनकी समीक्षा करेगा।

उद्घाटन समारोह में (बायें से) सुश्री वांसुक सयीम, सुश्री यास्मीन अब्रार, सुश्री पूजा भट्ट, डॉ. गिरिजा व्यास, श्री के. मोहनदास और सुश्री शिवानी कश्यप

श्रोतागणों को सम्बोधित करते हुए डॉ. गिरिजा व्यास

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि "गैर निवासी भारतीयों द्वारा अपनी भारतीय पत्नियों को छोड़ देने की बहुत सी शिकायतें आयोग को उनसे प्राप्त होती हैं। वे बड़े संकट में होती हैं कि कहाँ जायें और क्या करें। अब इस प्रकार के सब मामलों पर यह कक्ष विचार करेगा।"

यह मामला गत वर्ष संसद में उठाया गया था और उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, समुद्रपार भारतीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक में इस पर चर्चा की गयी जहां निर्णय लिया गया कि ऐसे सब मामलों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को शीर्ष अभिकरण बनाया जाये। विदेशों में विपत्तिग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए आयोग गैर सरकारी संगठनों तथा भारतीय दूतावासों के साथ तालमेल स्थापित करेगा। राज्य सरकारों, न्यायपालिका तथा पुलिस के साथ समन्वय के लिए आयोग एक परामर्श समिति गठित करेगा।

घटना घटित होने वाले देश में दोषी पतियों के विरुद्ध उनका पता लगाने के नोटिस जारी किए जायेंगे।

इस अवसर पर, अभिनेत्री पूजा भट्ट ने 'द नो-व्हेअर ब्राइड्स' पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि भारतीय समाज में माता-पिता पुत्रियों को केवल उनकी जिम्मेवारियों की ही सीख देते हैं, परन्तु उनके अधिकारों से भी उन्हें अवगत कराना चाहिए।

सुश्री पूजा भट्ट पुस्तक का विमोचन करते हुए। दोनों ओर सुश्री यास्मीन अब्रार और डॉ. गिरिजा व्यास

तिमोर-लेस्ते की संसदीय समिति का आयोग में आगमन

तिमोर-लेस्ते की राष्ट्रीय संसद का 'गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास तथा लिंग समानता' विषय पर संसदीय प्रतिनिधि-मंडल श्री ओसोरियो फ्लोरिंडो के नेतृत्व में हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग आया और अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री ओसोरियो फ्लोरिंडो का स्वागत करते हुए डॉ. गिरिजा व्यास

राष्ट्रीय महिला आयोग का संक्षिप्त विवरण देते हुए, अध्यक्षा ने बताया कि आयोग के तीन मुख्य एकक हैं - शिकायत एवं विवेचना कक्ष, शोध एवं अध्ययन कक्ष तथा कानूनी कक्ष। उन्होंने

आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ तिमोर-लेस्ते का प्रतिनिधि-मंडल

स्पष्ट किया कि कानूनी कक्ष महिलाओं संबंधित कानून प्रस्तावित करता है और उनकी पुनरीक्षा करता है जबकि शोध एवं अध्ययन कक्ष महिलाओं संबंधित मुद्दों पर शोध करता है और महिलाओं के अधिकारों तथा समस्याओं संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करता है।

आयोग के कार्यकरण के बारे में डॉ. व्यास ने कहा कि वह स्व-प्रेरणा से मामलों का संज्ञान लेता है तथा मामलों की छानबीन के लिए जांच समिति नियुक्त करता है और तत्पश्चात् जांच रिपोर्ट को संबंधित राज्य या विभागों को उपचारात्मक कार्यवाई के लिए भेजता है।

संघ लोक सेवा आयोग तथा स्टाफ चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए महिलाओं को प्रवेश फीस नहीं देनी पड़ेगी

केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन-पत्र भेजते समय, संघ लोक सेवा आयोग तथा स्टाफ चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए महिलाओं को प्रवेश फीस नहीं देनी पड़ेगी। केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयोजन से सरकार ने उक्त निर्णय लिया है और इन अभिकरणों से कहा है कि केन्द्र की नौकरियों के लिए निकाले गये अपने विज्ञापनों में यह बात स्पष्ट करें।

पंजाब में प्रति 24 घंटे एक बलात्कार

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में पंजाब पुलिस द्वारा एकत्रित आंकड़ों से यह चौंकाने वाली बात सामने आयी है कि राज्य में प्रतिदिन कम से कम एक महिला का बलात्कार होता है और प्रति दूसरे दिन एक महिला की हत्या।

जनवरी 2009 से जुलाई के अंत तक 7 महीनों की अवधि में, पंजाब में 257 बलात्कार हुए, 334 महिलाओं का अपहरण किया गया और 200 के साथ बदसलूकी की गयी। 115 से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी गयी। इसके अतिरिक्त, प्रति दूसरे दिन एक महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हुई और औसतन प्रति मास एक दहेज मृत्यु हुई।

पुलिस द्वारा यह आंकड़े मासिक आधार पर एफ.आई.आर की संख्या के अनुसार संकलित किए गये हैं। वास्तविक स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है क्योंकि महिलाओं पर होने वाले अपराधों संबंधी बहुत से मामले दर्ज नहीं कराए जाते।

विदेश समाचार

ताइवान ने वेश्यावृत्ति के वैधीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह द्वीप विश्व के सबसे पुराने धंधे का गैर-अपराधीकरण करने वाला नवीनतम देश होगा।

इस समय, ग्राहक पर कोई कार्यवाही नहीं होती जबकि वेश्या को दंड दिया जाता है।

परन्तु स्थानीय धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। ताइवान से पूर्व, न्यूज़ीलैंड ने 2003 में वेश्यालयों को बेरोकटोक काम करने की अनुमति दे दी थी जबकि वहां की संसद ने 100 वर्ष पुराने वेश्यावृत्ति संबंधित कानूनों को बहुत सूक्ष्म बहुमत से परिवर्तित कर दिया।

● पति के महिला रिश्तेदारों को सज़ा हो सकती है : उच्च न्यायालय

बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पति के महिला रिश्तेदारों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है।

सैशन न्यायालय के एक निर्णय को बदलते हुए, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि पीड़िता की सास और ननद के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही की जाये। ये निर्देश जारी करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि यदि विधायिका की मंशा महिला के रिश्तेदारों को प्रतिवादी की परिभाषा में शामिल न किए जाने की होती तो विशिष्ट रूप से इस प्रकार का प्रावधान किया गया होता। पीड़िता ने जून 2004 में शिकायत की थी कि उसके पति, सास और अन्यों ने उसे मारा-पीटा और घर से निकाल दिया।

● आरोप यदि तर्कहीन हों तो बलात्कार के दावे को खारिज किया जा सकता है : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि 'यद्यपि बलात्कार पीड़ित के साक्ष्य पर गंभीर रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, तथापि यह कहना कि उसकी कहानी असंभाव्य होने पर भी उसका साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाये न्याय-संगत नहीं होगा और उन सिद्धांतों की अवहेलना होगी जिनका कि किसी आपराधिक मामले में पालन करना होता है।

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह प्रतिक्रिया एक व्यक्ति को बरी करते समय दी जिसे दिल्ली की एक गृहणी का बलात्कार करने के अपराध में सात वर्ष की सजा सुनाई गयी थी।

● माँ के मनोनीत होने पर भी पत्नी का हक रहता है : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि महज इसलिए कि विवाह से पूर्व पति ने अपनी माँ को अपने प्रोविडेंट फंड तथा अन्य अवकाश प्राप्तियों के लिए मनोनीत कर दिया था, उसकी पत्नी का उत्तराधिकार हक समाप्त नहीं हो जाता।

न्यायालय ने कहा कि मात्र इस आधार पर कि मृतक ने अपने पैसे तथा अन्य लाभों के लिए किसी को मनोनीत कर दिया था, उस नामित व्यक्ति को कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

शीर्ष न्यायालय ने कहा, 'मनोनीत कर देने मात्र से नामित व्यक्ति उस राशि का हकदार नहीं बन जाता जो बीमाकार की मृत्यु के पश्चात् उसके जीवन बीमा पर देय है।'

"नाम निर्देशन केवल यह दर्शाता है कि पॉलिसी की राशि किस अधिकृत हाथ में दी जायेगी। परन्तु उस राशि पर उत्तराधिकार कानून के अनुसार मृतक के वारिस अपना दावा कर सकते हैं।"

● वैयक्तिक कानून के बावजूद, कोई भी भारतीय बच्चे को गोद ले सकता है : न्यायालय

दिल्ली के एक न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भले ही किसी व्यक्ति का वैयक्तिक कानून बच्चा गोद लेने की अनुमति न देता हो, कोई भी भारतीय नागरिक बच्चा गोद ले सकता है। इससे एक मुस्लिम दम्पत्ति को जो एक अनाथ बच्चे के पालनहार बनना चाहते थे आशा की किरण मिल गयी है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को एक मूलभूत अधिकार प्रदान करता है और बाल न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत वे किसी भारतीय बच्चे को गोद ले सकते हैं।

● जीवन साथी के मुकर जाने पर भी तलाक हो सकता है : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि दोनों में से एक जीवन साथी 'परस्पर रजामंदी' के अंतर्गत शुरू में अलग होने के लिए राजी हो जाने के बाद मुकर जाये तो भी तलाक दिया जा सकता है। परन्तु दो जजों की खंडपीठ ने यह भी कहा कि ऐसे अपवादस्वरूप मामलों में कोई अन्य न्यायालय नहीं, केवल उच्चतम न्यायालय ही संविधान की धारा 142 के अंतर्गत अपने असाधारण अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकता है।

प्रस्तुत मामले में, शीर्ष न्यायालय ने यह देखते हुए कि विरक्त पत्नी प्रारंभ में इस शर्त पर तलाक के लिए राजी हो गयी थी कि उसके पति की सम्पत्तियों में से कुछ भाग उसके नाम कर दिया जायेगा तलाक की डिग्री दे दी।

किन्तु एक बार जब सम्पत्ति उसके नाम हो गयी, तो उसने अपनी रज़ामंदी वापस ले ली और इस प्रकार तलाक लेने के अपने पति के प्रयत्न को नकारने का प्रयत्न किया।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।